

समक्ष :माननीय राजस्व मंडल म0प्र0 ग्वालियर

निगरानी क्रमांक

/2017

R 322-I-17

49

भगवन्त सिंह उर्फ राजू पुत्र श्री विजय सिंह ठाकुर
लुहुरगुबा तहसील पृथ्वीपुर जिला टीकमगढ म.प्र. ।

..आवेदक

विरुद्ध

म0प्र0 शासन

.....अनावेदक

श्री व.स.जी. म.प्र. 1-17 को
द्वारा आज दि. 24-1-17 को
प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर
24-1-17

निगरानी मध्य प्रदेश भू - राज्य संहिता 1959 की धारा 50 के तहत

माननीय महोदय ,

सेवा मे आवेदक की ओर से निवेन निम्न प्रकार है :-

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण-

1. यहकि, प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक द्वारा उक्त भूमि ग्राम जेरा सरकिल मोहनगढ तहसील जतारा जिला टीकमगढ की भूमि सर्वे क्रमांक 144/2 ख रकवा 1.618 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 18.10.984 को भूमि स्वामी लटोरा तनय बल्दू डीमर से कय किया था कय करने से पश्चात विधिवत एवं नियमानुसार नामांतरण पंजी पर दिनांक 16.2.1985 से नामांतरण होकर कृषि कार्य करते चले आ रहे थे अतिरिक्त कलेक्टर जिला टीकमगढ द्वारा उक्त प्रकरण को स्वयम निगरानी क 350/स्व. निगरानी/1985 -1986 में लेकर आदेश दिनांक 7.2.1986 में आलोच्य आदेश पारित कर उक्त नामांतरण आदेश निरस्त किये गये जिस कलेक्टर महोदय के आदेश के विरुद्ध आवेदक द्वारा आयुक्त सागर संभाग सागर के समक्ष प्रकरण क 439/अ-19/86-87 प्रस्तुत की गई जिसमें आवेदक को स्थगन भी 4.8. 1987 को प्राप्त हुआ उसके बाद आयुक्त सागर द्वारा उक्त प्रकरण को गुण दोषो पर सुनवाई हेतु आदेश दिनांक 24.12.1988 से प्रकरण को सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित किया गया । जिस अतिरिक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय से प्रत्यावर्तित आदेश के पालन में अतिरिक्त कलेक्टर टीकमगढ द्वारा आवेदक को कारण वताओ नोटिस दिनांक 25.11.1991 को जारी किया गया जिसमें आवेदक द्वारा विधिवत रूप से जववा भी दिनांक 19.2.1992 को प्रस्तुत किया गया हे जो रिकार्ड पर संलग्न है।

विक्रय
द्वारा आज दि. 24-1-17 को
प्रस्तुत



C.M.

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग-अ

प्रकरण क्रमांक-निगरानी 322-एक/2017

जिला-टीकमगढ़

भगवन्त सिंह विरुद्ध शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
24 -09-18 C/M	<p>प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक भगवन्त सिंह एवं अभिभाषक श्री सुनील सिंह जादौन द्वारा प्रकरण में कोई रुचि न लेने के कारण प्रकरण अरुचि में समाप्त किया जाता है।</p> <p>2/ प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।</p> <p>(आर.के. जैन) सदस्य 24.9</p>	